न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 22/14 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नसीर खां पुत्र स्व. वजीर खां निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित

1. सुनिल बापना –

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1200 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा छापर कदीम लगानी 1 रूपया 16 पैसा स्थित थी। जिसका खातेदार शान्तिलाल पुत्र गणेश लाल सुथार निवासी रायपुर था। जमाबंदी की फोटोप्रति आवेदनपत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजी मे से होकर सडक रायपुर से करेडा निकली जिससे कुछ रकबा तो सडक के उत्तर मे रह गया एवं कुछ रकबा सडक के दक्षिण मे रह गया। जिसका नक्शा आवेदनपत्र के साथ पेश है। सडक के उत्तर मे रहे रकबे के हाल नं0 435 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 436 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 437 रकबा 0.10 है0 बनाये गये। एवं जो रकबा सडक के दक्षिण मे रह गया उसके हाल नम्बर 785 रकबा 0.06 है0 बनाते हुए साबिक आराजी नम्बर 1387 मे मिला दिया गया व इस रकबे को भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा बिलानाम दर्ज कर दिया। साबिक जमाबंदी, हाल जमाबंदी मिलान क्षैत्र की प्रतियां तथा साबिक व हाल नक्शा ट्रेस की नकल भी आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान पुरानी एन्ट्रीज को ही रिपीट करना होता है और नक्शा भी साबिक स्थिती मे ही बनाना होता है, नवीन प्रकार से किसी प्रकार का इन्द्राज करने का भू प्रबन्ध विभाग को अधिकार नही था, व है किन्तु भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने साबिक आराजी नं0 1200 रकबा तो हाल आराजी नं0 435, 436, 437 रकबा तो अन्य आराजी को मिलाते हुए बिलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि कब्जा खातेदार शान्तिलाल पुत्र गणेशलाल सुथार का ही चला आ रहा था। और गणेश लाल द्वारा प्रार्थी को दिये जाने के बाद प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। खातेदार शांतिलाल पिता गणेश लाल सुथार द्वारा दिनांक 07/01/1992 को साबिक आराजी नम्बर 1200 मे से 4 बिस्वा जमीन प्रार्थी के प्लाट व दुकान के बाहर आती है प्रार्थी को अपनी आशायस के लिए दे दी, जिस पर अब तक प्रार्थी का ही आधिपत्य चला आ रहा था। इसके समीप ही प्रार्थी की दुकान लगी हुई है जिसके पडौस भी शांतिलाल द्वारा निष्पादित लिखतम दिनांक 07/01/1992 मे अंकित किये हुए है, किन्तु सड़क के दक्षिण तरफ रहा रकबा बिलानाम दर्ज किये जाने से प्रार्थी के विरूद्ध विपक्षी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। कार्यवाही के दौरान प्रार्थी के निवेदन पर पटवारी हल्का रायपुर द्वारा चन्द मौतबीरान के समक्ष मौका पर्चा

...र्ट भी तैयार की जिसमें भी आधिपत्य प्रार्थी का ही अंकित किया हुआ है। पर्चा मौका की प्रति आवेदनपत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.01.2014 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में तहसीलदार रायपुर उपस्थित हुए। प्रकरण मे विपक्षी द्वारा जवाब पैश किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खोदार नही है तथा न ही कोई विधीक दस्तावेज के जरिये नियुक्त प्रतिनिधी है। मुल खातेदार शांतिलाल पिता गणेश सुथार है तथा गत एवं हाल रेकार्ड के अनुसार नक्शा एवं क्षेत्रफल मे कोई कमी पेशी नही ह आराजी संख्या 785 बिलानाम दर्ज है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

... 0.07 जीरो पाइन्ट जीरो सात हक्टेयर, आराजी नं. 437 चार सौ